

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1978

सां.क्र.सं. 217.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) के अन्तर्ग (प्र) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 100, 101, 102, 103, 104, 391 और 394 के उपबन्ध नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड कम्पनी को, जो सरकारी कम्पनी है, नीचे ब्रिटिश उपान्तरी कहिले लागू होंगे, इस अधिसूचना के प्रारम्भ की प्रति, उक्त धारा 620 की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित संसद के दोनों सदन के समक्ष रख दी गई है, अर्थात् :-

उपांतर

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 100, 101, 102, 103, 104, 391 और 394 में, "न्यायालय" शब्द के स्थान पर, जहाँ कहीं भी वह प्राया हो, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

[क्र.सं. 15/14/73-पाई. जी. सी.]

New Delhi, the 1st February, 1978

G.S.R. 237.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that the provisions of sections 100, 101, 102, 103, 104, 391 and 394 of the said Act shall apply to the National Instruments Limited, Calcutta, a Government company, with the modifications specified below, a copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of the said section 620 namely :-

MODIFICATIONS

In sections 100, 101, 102, 103, 104, 391 and 394 of the Companies Act, 1956, for the word "Court" wherever it occurs, the words "Central Government" shall be substituted.

[F. No. 15/14/73-IGC]

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1978

सां. क्र.सं. 238.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 100, 101, 102, 103, 391, 392, और 394 के उपबन्ध नीचे उपबन्धित उपान्तरी के साथ सरकारी कम्पनी पर लागू होंगे इस अधिसूचना के प्रारम्भ की एक प्रति उस धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित संसद के दोनों सदन के समक्ष रखी जा चुकी है।

उपांतरण

- (1) धारा 100, 101, 102, 103, 391, और 394 में जहाँ भी "न्यायालय" शब्द प्राया हो, वहाँ "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;
- (2) धारा 391 में, उपधारा (7) का शेष कर दिया जाएगा।
- (3) धारा 392 की उपधारा (1) में "उपय न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

[क्र.सं. 15/16/78-पाई.जी.सी.]

डी. पी. बट्टी, प्रवर सचिव

New Delhi, the 2nd February, 1978

G.S.R. 238.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 620 of the Companies Act, 1956

(1 of 1956), the Central Government hereby directs that the provisions of sections 100, 101, 102, 103, 391, 392 and 394 of the said Act shall apply to a Government company with the modifications set out below, a copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of that section.

MODIFICATIONS

- (1) In sections 100, 101, 102, 103, 391 and 394 for the word "Court"; wherever it occurs, the words "Central Government" shall be substituted;
- (2) In section 391, sub-section (7) shall be omitted.
- (3) In sub-section (1) of section 392, for the words "High Court", the words "the Central Government" shall be substituted.

[F. No. 15/16/76-IGC]

B. B. BARURI, Under Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां. क्र.सं. 239.—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 3/61, तारीख 4 फरवरी, 1961 में निम्नलिखित संशोधन की करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, शर्त 8 के पर्याय निम्नलिखित शर्त प्रस्तुत-स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(8F) कलक्टर अपने विवेक पर, (विनिर्माता से निम्न निर्यात-कर्ताओं को ऐसी शर्तों और शर्तों पर हुक्का तम्बाकू को बंधन के अधीन निर्यात करने के लिए अनुमति दे सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।"

[अधिसूचना सं. 25/78-के.उ.शु. 261/4/87/77-सी.एन.ए.सं. 8]
एच.के. भारद्वाज, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 11th February, 1978

CENTRAL-EXCISES

G.S.R. 239.—In exercise of the powers conferred by rule 191-B of the Central Excises Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/61, dated the 4th February, 1961, namely :-

In the said notification, after condition 8, the following condition shall be inserted, namely :-

"(9A) The Collector may at his discretion, permit exporters other than manufacturers to export hookah tobacco in bond subject to such conditions and requirements as he may consider necessary."

[Notification No. 25/78-C.E.F. No. 261/4/87/77-CX8]
S. K. BHARADWAJ, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. क्र.सं. 240.—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व पर माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम